Appointments

(2) अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था।

Extra-Class Planning-

सामान्य विद्यालयों में ही विशिष्ट बालकों को उनकी विशिष्टता के स्तर के अनुरूप वर्गीकृत करके उनके लिए अतिरिक्त कक्षा योजनायें भी बनाई जा सकती है। जिसमें बालक अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा, प्रशिक्षण एवं निर्देशन प्राप्त कर अपनी निर्योग्यता समस्याओं, शंकाओं आदि को दूर करने के प्रयास कर सकता है।

इस प्रकार इन बालकों का शिक्षण सामान्य कक्षाओं में भी होता है और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति इन अतिरिक्त कक्षाओं में की जाती है।

इस प्रकार की योजना इन विशिष्ट बालकों के भावात्मक एवं सामाजिक समंजन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहती है।

अतिरिक्त कक्षा योजना कभी-कभी बालक व शिक्षक के लिए भार बन जाती है क्योंकि यह अतिरिक्त कक्षा योजना निश्चित अवधि या कक्षा-शिक्षण के अलावा चलायी जाती है। यदि इसको नियमित कार्यक्रम के साथ समायोजित कर दिया जाय तो इस व्यावहारिक समस्या से बचा जा सकता है।

(3) विशेष कक्षा योजना (Special Class Planning)

ऐसे विद्यालय में जहाँ विशिष्ट बालकों की संख्या अधिक होती है या अन्य शिक्षा का स्तर उच्च होता है।
Exp. (विशिष्ट बालकों शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक आदि में)
कि उनको सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देना असंभव या निरर्थक होता है विशेष कक्षा योजना को सफलता पूर्वक अपनाया जा सकता है।

इन कक्षाओं में विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों विषय विशेषज्ञों व निर्देशकों द्वारा शिक्षण व निर्देशन का कार्य किया जाता है तथा बालकों के लिए आवश्यक सहायक सामग्री एवं यंत्रों की व्यवस्था की जाती है।

एक निश्चित अवधि के बाद मूल्यांकन एवं परिमार्जित विधियों द्वारा अनुवर्तन fallow-up. किया जाता है।

टारगैरसन एवं अन्य - ने अपने अध्ययनों में इस बात को स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की संख्या 8 या 10 तथा शैक्षिक समय 3 घण्टे से अधिक नहीं होना चाहिए इसमें भी आवश्यकतानुसार अन्तराल भी आवश्यक है।

Important
Notes
Address
2019
Appointments

(4) विशेष-विद्यालय (Special-Schools)

विशिष्ट बालकों के लिये अलग विशेष विद्यालयों की व्यवस्था पूर्वकाल में ही देखने को मिलती है। विशेष रूप से ऐसे बालक जो सामान्य विद्यालयों में किसी भी प्रकार अपने को समायोजित नहीं कर पाते और प्रचलित शिक्षण प्रविधियों से शिक्षा ग्रहण करने में अक्षम होते हैं, इन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं।

Exp. चक्षुहीन, बहरे व गूंगे बालक, अपराधी, कुसमायोजित, उच्च प्रतिभा सम्पन्न आदि। इस प्रकार की व्यवस्था यद्यपि आर्थिक रूप से खर्चीली होती है। तथा सभी स्थानों में उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, विशिष्ट बालकों के पूर्ण विकास एवं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है।

इन विशेष विद्यालयों में विशिष्ट बालकों को शिक्षित करने के साथ-साथ उनको उनकी विशिष्टता के अनुरूप किसी व्यवसाय का प्रशिक्षण प्रदान करना और भी अधिक उपयोगी हो सकता है। साथ ही अभिभावकों, समाजसेवियों, अध्यापकों व प्रशासन के समन्वय से इस प्रकार की

Appointments

व्यवस्था को सही अर्थों में विशिष्ट बालकों के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है।

(5) आवासीय विद्यालय (Residential Schools)

विशिष्ट बालकों के लिए प्राचीनतम शिक्षा व्यवस्था आवासीय विद्यालयों के रूप में ही देखने को मिलती है। यह व्यवस्था पूर्ण पृथक्कीकरण पर आधारित है। इन विद्यालयों में सभी प्रकार के गम्भीर रूप से विकलांग Exp. (चक्षुहीन, बहरे, विकृत शरीर वाले बालक, अपराधी, मानसिक रूप से विकलांग व मन्द बुद्धि, संवेगिक रूप से असंतुलित) तथा प्रतिभाशाली बालकों को विशेष रूप से विकलांग व मन्द बुद्धि संवेगिक रूप से असंतुलित तथा प्रतिभाशाली बालकों को विशेष रूप से शिक्षित व प्रशिक्षित किया जाता है।

आवासीय विद्यालयों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बालकों द्वारा किये जाने वाले प्रत्येक कार्य में उन्हें उचित निर्देशन के साथ अभ्यास कराया।

Appointments

जाता है। उन्हे विशेष सहायक यन्त्रों व सामग्री का उचित उपयोग करने, अपने अतिरिक्त समय का सदुपयोग करने व अनुशासन का भी अभ्यास व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

इस प्रकार की पूर्ण पृथक्कीकृत शिक्षा व्यवस्था से बहुत से विद्वान सहमत नही होते हैं: क्यों की इनमे बालक घर व समाज से विलग हो जाता है उसकी विशिष्टता पर अधिक ध्यान दिये जाने से वह उसके प्रति अनावश्यक रूप से सचेत रहने लगता है। तथा एक ऐसा विद्यालयीय जीवन व्यतीत करने लगता है जिसमे विविधता कम देखने को मिलती है। फिर भी ये आवासीय विद्यालय उन बालको की आवश्यकताओ की पूर्ति सफलतापूर्वक कर सकते है जिनको अपनी विशिष्टता के कारण कुछ अधिक समय के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इन विद्यालयों का उपयोग सामान्य विद्यालयों के पूरक के रूप मे भी किया जा सकता है. जिसमे बालक अपनी विकलांगता या नियोग्यता को अधिक सीमा दूर करने का प्रशिक्षण ग्रहण करने के लिए कुछ अवधि के लिए स्थानान्तरित किया जा सके।